

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राजस्व विभाग, दिल्ली।
5, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स दिल्ली-110054

छात्रवृत्ति की घोषणा :2022 -23
(मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट -सह-साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएमए) वर्ष 2022-23 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 06 अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है।

समय-सीमा

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण छात्रवृत्ति (वह आवेदक जिसने वर्ष 2021-22 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	(i) मैट्रिक- पूर्व छात्रवृत्ति	30 सितम्बर,2022
	(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं (ii) मेरिट -सह -साधन आधारित छात्रवृत्ति	31 अक्टूबर,2022

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) का विद्यार्थी हो।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों/स्कूलों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछली बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हो।

आवेदकों के लिए निर्देश

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट - www.scholarships.gov.in (इस साइट का लिंक www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप - National Scholarship (NSP) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में हो या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए निर्देश

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र/ छात्रा पढ़ रहा है, वे 31/08/2022 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर अपने इंस्टिट्यूट नोडल ऑफिसर का केवाईसी (KYC) एवं आधार डेमो -ऑथेंटिकेशन सुनिश्चित करें (यदि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया हो)।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाए।

समाधान हेल्पलाइन (टोल फ्री) -1800-11-2001 (समय सुबह 9:00 से सायं 5:30 बजे तक, सोमवार से शुकवार छुट्टी का दिन छोड़कर)।

संपर्क : राजस्व विभाग, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार :-E-mail: minoritycellhqdelhi@gmail.com

DIP/Shabdarth/0305/22-23

प्रधान सचिव
राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार

Government of NCT of Delhi
Department of Revenue, Delhi
5, Sham Nath Marg, Civil Lines, Delhi-110054
E-mail: minoritycellhqdelhi@gmail.com

Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means Scholarship
Schemes for Minority Students: 2022-23

Ministry of Minority Affairs (MoMA) provides an opportunity to the students belonging to six minority communities notified by the Government of India (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsis), Muslim and Christian) for availing Scholarship under three Scholarship Schemes, sponsored by Ministry of Minority Affairs, Government of India. Viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-Cum-Means based Scholarship Schemes for 2022-23.

TIMELINES:-

Last Date for submission of online applications for fresh scholar0.ship (first time applicant) and Renewal scholarship (applicant who has got scholarship during 2021-22) by students.	Pre-Matric Scholarship Scheme for Minority	Upto 30th September, 2022
	Post-Matric Scholarship Scheme for Minority & Merit-cum-Means based Scholarship Scheme for Minority	Upto 31st October, 2022

ELIGIBILITY

- The applicant should be the student of the notified Minority communities (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsi), Muslim and Christian).
- The applicant should be pursuing studies in Indian in Government or recognized Private University /Institute / College / School.
- The course being pursued should be of Minimum one year duration.
- The applicant should have secured 50% marks in the last annual Board/Class examination.

INSTRUCTIONS FOR APPLICANTS

- Applicants are advised to apply online against any one of the scholarship schemes on the Website of National Scholarship Portal at- www.scholarship.gov.in (a link to the site is also available at www.minorityaffairs.gov.in).
- Detailed 'Instructions' for filling in online application and 'Frequently Asked Question (FAQs)' are available on the National Scholarship Portal homepage.
- Applicant is advised to give only that bank account details which remains in active mode or compliant as per bank's instructions so that payment of Scholarship does not fall.

INSTRUCTIONS FOR UNIVERSITIES /INSTITUTES/COLLEGES/SCHOOLS

- All Universities/Institutes/Colleges/Schools, where a minority student is studying, should get themselves registered (if not done earlier) on National Scholarship Portal with KYC and Aadhaar -Demo-Authentication of their Nodal Officer by **31st August, 2022**.

For detailed Information, visit the website of Ministry of Minority affairs i.e. www.minorityaffairs.gov.in
Samadhaan Helpline (Toll Free) -1800-11-2001 (Timing 9:00 AM to 5:30PM, Monday to Friday, except holidays).

Contact details, Revenue Department, GNCTD: E-mail: minoritycellhqdelhi@gmail.com

Pr. Secretary
(Revenue Department/GNCTD)

DIP/Shabdarth/0305/22-23